



Neutral Citation No. - 2026:AHC:20806

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - A संख्या – 1223/2026

दिग्विजय सिंह.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता: इरफ़ान अहमद मलिक

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता: मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री इरफ़ान अहमद मलिक और राज्य सरकार के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार की दलीलें सुनी गईं।
2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया कि उन्हें इस मामले में आवश्यक निर्देश प्राप्त हैं और वे इस मामले पर बहस करने की स्थिति में हैं; साथ ही, वे कोई हलफनामा दाखिल करने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। उन्होंने अनुरोध किया कि रिट याचिका का निर्णय रिकॉर्ड पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही कर दिया जाए। दोनों पक्षों की सहमति से, इस रिट याचिका का निर्णय 'ताज़ा चरण' पर ही किया जा रहा है।
3. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि वर्ष 1984 में उनका चयन 'पुलिस कांस्टेबल' के पद पर हुआ था, तत्पश्चात उन्हें पदोन्नत कर 'हेड कांस्टेबल' बनाया गया और वे दिनांक 30.09.2024 को सेवानिवृत्त हो गए। तथापि, अब द्वितीय प्रतिवादी—वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी (जनपद झाँसी)—द्वारा दिनांक 26.09.2024 को पारित आदेश के परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का वेतन 64,100/- रुपये से घटाकर 60,400/- रुपये कर दिया गया है। रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि याचिकाकर्ता द्वारा न तो कोई धोखाधड़ी की गई है, न ही कोई तथ्य छिपाया गया है और न ही कोई गलतबयानी की गई है; इसके अतिरिक्त, वेतन कटौती से पूर्व याचिकाकर्ता को कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था। इस संबंध में, उन्होंने 'स्टेट ऑफ़ पंजाब बनाम रफ़ीक़ मसीह (व्हाइट बॉशर)' [2015 (4) SCC 334] और 'थॉमस डैनियल बनाम स्टेट ऑफ़ केरल और अन्य' [(2022) LiveLaw (SC) 438] के निर्णयों का संदर्भ दिया है।
4. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि नियोक्ता के लिए अपनी त्रुटियों को सुधारने का विकल्प सदैव खुला रहता है; तथापि, उनके अनुसार, इस मामले में यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वेतन कटौती से पूर्व रिट याचिकाकर्ता को कोई नोटिस जारी किया गया था अथवा नहीं। 5. मैंने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी हैं और रिकॉर्ड की जाँच की है।
6. ज़ाहिर है, आरोप कुछ ऐसे फ़ायदों को बढ़ाने के बारे में है, जिनका रिट याचिकाकर्ता हकदार नहीं था। भगवान शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य, (1994) 6 SCC 154 में दर्ज मामले में, निम्नलिखित टिप्पणी की गई थी:

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"3. हमने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनी हैं। इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता का मूल वेतन 1970 से 190 रुपये प्रति माह तय किया गया था। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता का मूल वेतन 1991 में 190 रुपये प्रति माह से घटाकर 181 रुपये प्रति माह कर दिया गया था, और यह कटौती 18.12.1970 से पूर्वव्यापी रूप से लागू की गई थी। अपीलकर्ता को स्पष्ट रूप से गंभीर सिविल परिणामों का सामना करना पड़ा है, लेकिन उसे अपने मूल वेतन में कटौती के खिलाफ अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। विभाग द्वारा उसका वेतन घटाए जाने से पहले उसे कोई नोटिस भी नहीं दिया गया था, और यह आदेश उसकी पीठ पीछे, कानून में निर्धारित किसी भी प्रक्रिया का पालन किए बिना पारित कर दिया गया था। इस प्रकार, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन हुआ है, और अपीलकर्ता को बिना सुनवाई का अवसर दिए भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा है। निष्पक्ष कार्यप्रणाली की यह माँग है कि ऐसा कोई भी आदेश, जिसके परिणामस्वरूप किसी कर्मचारी को गंभीर सिविल परिणामों का सामना करना पड़े, तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि संबंधित व्यक्ति को नोटिस न दिया जाए और उसे मामले में सुनवाई का अवसर न दिया जाए। चूंकि ऐसा नहीं किया गया, इसलिए दिनांक 25.7.1991 का वह आदेश (ज्ञापन), जिसे अधिकरण के समक्ष चुनौती दी गई थी, निश्चित रूप से मान्य नहीं ठहराया जा सकता; अतः केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अपीलकर्ता की याचिका को खारिज करके त्रुटि की है। अधिकरण का आदेश रद्द किए जाने योग्य है। तदनुसार, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के दिनांक 17.9.1993 के आदेश को, साथ ही अधिकरण के समक्ष चुनौती दिए गए दिनांक 25.7.1991 के उस आदेश (ज्ञापन) को रद्द करते हैं, जिसके द्वारा अपीलकर्ता का मूल वेतन 18.12.1970 से 190 रुपये से घटाकर 181 रुपये कर दिया गया था।" 7. चूंकि विवादित आदेश से यह स्पष्ट नहीं होता है कि रिट याचिकाकर्ता को इस बात की सूचना दी गई थी कि उक्त आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

8. समग्र तथ्यों और संबंधित पक्षों द्वारा अपनाए गए रुख को देखते हुए, यह न्यायालय, मामले की और अधिक गहराई में जाए बिना, रिट याचिका का निपटारा निम्नलिखित शर्तों पर करता है:-
 - (a) द्वितीय प्रतिवादी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झांसी, जिला झांसी द्वारा दिनांक 26.09.2024 को पारित आदेश को रद्द किया जाता है;
 - (b) मामला वापस भेजा जाता है ताकि रिट याचिकाकर्ता की सुनवाई के उपरांत एक नया आदेश पारित किया जा सके।
9. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

30 जनवरी, 2026

एन.एस. राठौर

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”